#### कार्यालय निर्वाचन अधिकारी

## दि कांगडा को. ऑपरेटिव बैंक लि.

उप सचिव कार्यालय, कमरा नं. 503, पांचवां तल, ए.विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

## एजेंडा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को माननीय रजिस्ट्रार, कॉ—ऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्मेंट ऑफ एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली के अनुसार संख्या एआर/बैंकिंग/107451289/4192—94 दिनांक:— 30/12/2024 जो कि सहायक पंजीयक कार्यालय सहकारी समितियां द्वारा सूचना दी गई कि दि कांगड़ा को. ऑपरेटिव बैंक लि.,सी—29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058 के निदेशक मंडल के सदस्यों के चुनाव करने हेत् निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस आदेश के अंतर्गत में, आर.एस.कृष्णन, निर्वाचन अधिकारी, दि कांगड़ा को. ऑपरेटिव बैंक लि., दिनांक:— 23/03/2025 (रविवार) को प्रातः 09:15 बजे उपरोक्त बैंक की विशेष सभा बुलाने की घोषणा करता हूँ। यह विशेष सभा नूतन मराठी सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, आराम बाग, (पहाड़गंज, पुलिस थाने के पीछे), पहाड़गंज, नई दिल्ली—110055 में होगी। इसमें एक (1) पद चेयरमेन, एक (1) पद वाईस—चेयरमेन और तेरह (13) पद निदेशक (जिनमें से दो निदेशक के पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है जो कि धारा 35(8) दिल्ली सहकारी समिति अधिनयम 2003 के अनुसार है) का चुनाव होगा। निर्वाचित निदेशक कार्यकाल निर्वाचन परिणाम के तारीख से 3 वर्ष के लिए निर्धारित है जो कि धारा 35(3) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 203 के अनुसार है।

#### चुनाव कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम	तारीख	समय	स्थान
1.	नामांकन पत्र प्राप्त करना (निःशुल्क)	01/03/2025 (शनिवार)	प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक	कैम्प ऑफिसः दि कांगड़ा को. ऑपरेटिव बैंक लि., 1916, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली—110055
2.	नामांकन पत्रों को दाखिल करना	04/03/2025	प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक	उपरोक्त लिखित
3.	नामाकंन पत्रों की जांच	08/03/2025	दोपहर 3:30 बजे से	उपरोक्त लिखित
4.	सही पाए गए नामाकंन पत्रों की सूची प्रदर्शित करना	08/03/2025	सांय 5:00 बजे	उपरोक्त लिखित
5.	नांमाकन पत्र वापस लेना	10/03/2025	दोपहर 3:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक	उपरोक्त लिखित
6.	प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रदर्शन	10/03/2025	सांय 5:30 बजे	उपरोक्त लिखित
7.	मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो)	23/03/2025 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक	नूतन मराठी सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, आराम बाग, (पहाड़गंज, पुलिस थाने के पीछे) पहाड़गंज, नई दिल्ली—110055

नामांकन पत्र के साथ रू. 5000 / — (पांच हजार रूपये) नगद या पे ऑर्डर <u>आर.एस. कृष्णन रिटर्निंग ऑफिसर</u> के पक्ष में जमानत की राशि के साथ उम्मीदवार, प्रस्तावक या समर्थक द्वारा को दिये गये समय व तिथि पर अधोहस्ताक्षरी के पास अथवा किसी अन्य अधिकारी जिसको निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिकृत किया गया हो के पास जमा कराये जायेगे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा पावती सिहत भी भेजा जा सकता है जो अधोहस्ताक्षरी के पास निर्धारित तिथि और समय से पूर्व पहुंच जाये। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिथ चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई सदस्य अपना नामांकन फॉर्म एक से अधिक पदों के लिए भरकर दर्ज करता है तो नाम वापस लेने की तिथि तक सदस्य को अपनी अंतिम पसन्द के एक पद की सूचना देनी होगी अन्यथा उसके द्वारा दर्ज किये गये सभी नामांकन पत्र निरस्त माने जायेंगे। उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक में से कोई भी बैंक के देय राशि का बाकीदार (डिफॉल्टर) नहीं होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक बैंक में सदस्यता प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है अथवा नियम 54 डीसीएस नियम अथवा सेक्शन 35 के अन्तर्गत अयोग्य होगा तो चुनाव लड़ नहीं सकेगा यद्यपि वह चुनाव में मत दे सकता है। अगर कोई उम्मीदवार कुल चुनाव में पड़े मतों का 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है तो उनकी जमानत राशि जब्द हो जायेगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि हर नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक के <u>बैंक मेम्बरिया आई.डी. कार्ड / आधार कार्ड / डाईविंग लाईसेंस / पासपोर्ट / चुनाव आई.डी.कार्ड / पेन कार्ड अथवा अन्य सरकारी आई.डी. कार्ड</u> कार्र स्वाप्त हो को स्वाप्त हो के पर समीदवारों के नामांकन फॉर्म पर नाम / आईडी कार्ड में नाम / सोसाइटी के रिकॉर्ड में पंजीकृत नामों में कोई अंतर होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इसकी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि सदस्य की पहचान उचित संदेह से परे स्थापित हो गई है।

बैंक के सदस्यों की सूची व बाकीदारों (डीफाल्टर) की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय और दि कांगड़ा को. ऑपरेटिव बैंक लि., के प्रशासनिक कार्यालय में प्रदर्शित की जा चुकी है। इच्छुक सदस्य, सदस्यों की सूची बैंक के प्रशासनिक कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 से निर्धारित फीस देकर दिल्ली सहकारी सिमिति 2007 के नियम 33 के अनुसार प्राप्त कर सकते है।

## विशेष नोट :-

विशेष सभा उपरोक्त बैंक के निदेशक समिति के चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए दिनांक:— 23/03/2025 (रिववार) को नूतन मराठी सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, आराम बाग, (पहाड़गंज, पुलिस थाने के पीछे), पहाड़गंज, नई दिल्ली—110055 प्रातः 09:15 बजे प्रारम्भ होगी। मीटिंग का कोरम (वांछित सदस्य संख्या) प्रातः 9:45 बजे तक पूरा नहीं होता है तो बैठक प्रातः 9:45 बजे से 15 मिनट के लिए स्थिगित कर दी जाएगी। तदोपरांत उसी दिन 23/03/2025 (रिववार) को प्रातः 10:00 बजे उसी स्थान पर मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जायेगा, जो सांय 5:00 बजे तक चलेगा। दिल्ली सहकारी समितियाँ नियम 2007 के नियम 48(3) के अनुसार ऐसी स्थिगित सभा के कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

मतों की गणना

मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी तथा मत गणना समाप्त होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जायेगा।

दिनांक:- 12/02/2025

- बैंक द्वारा दी गयी सूची के अनुसार प्रत्येक सदस्य को प्रतिलिपि।
- 2. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, दि कांगड़ा को. ऑपरेटिव बैंक लि.,सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
- 3. बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा बैंक के प्रधान एवं प्रशासनिक कार्यालय और बैंक की सभी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए।
- 4. सहायक पंजीयक (बैंकिग), कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

(आर.एस.कृष्णन) निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन अधिकारी

नोट:— दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 व दिल्ली सहकारी समितियां नियम 2007 और बैंक के उपनियम के अनुसार बाकीदार (डिफाल्टर) सदस्यों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है न ही वे मतदान कर सकते हैं। यदि वे बकाया राशि बैंक में नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से एक दिन पूर्व / मतदान से एक दिन पूर्व जमा करा देते हैं और इसका सबूत अधोहस्ताक्षरी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें बाकीदार (डिफाल्टर) नहीं माना जायेगा और चुनाव लड़ने का / मतदान करने का अधिकार दिया जायेगा। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि नामांकन पत्र भरने से एक दिन पहले या मतदान से एक दिन पहले किसी भी असुविधा से बचने के लिए बाकीदार (डिफाल्टर) सूची को देख लें।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे मतदान के समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी सदस्यता प्रमाणित करने के लिए मूल बैंक मेम्बरशिप आई.डी. कार्ड अथवा आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/चुनाव आई.डी.कार्ड/पैन कार्ड अथवा अन्य सरकारी आई.डी. कार्ड अपने साथ लाये जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से बिना किसी बाधा या व्यवधान के सम्पन्न कराया जा सकें। सोसाइटी के सभी सदस्यों को आगाह किया जाता है कि यदि विवाह या अन्य कारणों से उम्मीदवारों के आईडी कार्ड में नाम/सोसाइटी के रिकॉर्ड में पंजीकृत नामों में कोई अंतर होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इसकी जांच की जाएगी तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य की पहचान उचित संदेह से परे स्थापित हो गई है। एक बूथ पर केवल एक व्यक्ति मतदान कर सकता है और परिवार के सदस्य अलग अलग बूथों पर मतदान करेंगे। यदि हिन्दी और अंग्रेज़ी अनुवाद में कोई अन्तर पाया जाये तो अंग्रेजी एजेंडा नोटिस मान्य होगा।

# OFFICE OF THE RETURNING OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

Office of the Deputy Secretary, Room No.503, 5th Level, A-Wing Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi-110002.

#### **AGENDA NOTICE**

Whereas the undersigned has been appointed as Returning Officer by the Registrar Co-operative Societies, Govt. of NCT of Delhi, as conveyed vide order No.AR/Banking/107451289/4192-94 dated 30/12/2024 issued by the Asstt. Registrar (Bkg.), O/o the Registrar Co-operative Societies, Parliament Street, New Delhi to conduct the Election of the Board of Directors of The Kangra Co-operative Bank Ltd., C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058.

Now, therefore, I R.S. Krishnan, Returning Officer of The Kangra Co-operative Bank Ltd. hereby call Special General Body Meeting of the aforesaid Bank for conduct of election of the Board of Directors on 23/03/2025 (Sunday) at 9:15 A.M. in the premises of <a href="Mutan Marathi Senior Secondary School">Mutan Marathi Senior Secondary School</a>, Aram Bagh, Behind Paharganj Police Station, Paharganj, New Delhi-110055 for One (1) Post of Chairman, One (01) Post of Vice-Chairman and Thirteen (13) Posts of Director, (out of which <a href="two Posts of Director are reserved for women candidates">two Posts of Director are reserved for women candidates</a>, as per the Section 35(8) of DCS Act, 2003). The term of the Board of Directors shall be for 03 (three) years as per Section 35(3) of DCS Act, 2003 from the date of declaration of result of the election.

#### **ELECTION PROGRAMME**

S. No.	Programme	Date	Time	Venue
1.	Issue of Nomination Forms (free of cost)	01/03/2025 (Saturday)	11:00 A.M. to 04:00 P.M.	Camp Office:-The Kangra Co-operative Bank Ltd., 1916, Chuna Mandi Pahar Ganj, New Delhi-110055.
2.	Filing of Nominations	04/03/2025	11:00 A.M. to 04:00 P.M.	As above
3.	Scrutiny of Nominations	08/03/2025	3:30 P.M.	As above
4.	Display of Valid Nominations	08/03/2025	5 :00 P.M.	As above
5.	Withdrawal of Nominations	10/03/2025	03.00 P.M.to 5:00 P.M.	As above
6.	Display of the final list of contesting candidates	10/03/2025	5:30 P.M.	As above
7.	Polling (if necessary)	23/03/2025 (Sunday)	10:00 A.M. to 5:00 P.M.	Nutan Marathi Senior Secondary School, Aram Bagh, Behind Paharganj Police Station, Paharganj, New Delhi-110055.

The candidates will deposit Rs.5,000/- (Rupees Five Thousand only) as Security Deposit either in cash or by pay order in favour of R.S. Krishnan Returning Officer along with Nomination Form and shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or seconder to the Returning Officer or to any officer duly authorized on his behalf by the Returning Officer on the date and time mentioned above or sent by registered post acknowledgement due with the condition that the nomination paper should reach the undersigned before stipulated date and time. Further, a member shall not be eligible to contest election for two posts simultaneously. In case, a member submits nomination for more than one post, then he/she should intimate his/her final choice to contest for one post by the date and time fixed for withdrawal of nomination, failing which all his/her nomination papers shall be deemed to have been cancelled. Further, the candidate/ proposer / seconder shall not be a defaulter of dues. A member shall not be eligible to contest the election if he/she has not completed minimum period of one year from the date of acquiring membership of the Bank to the date of filing of Nomination Form or any other disqualification as per Rule 54 of DCS Rules 2007 or Section 35 of DCS Act. However, new members are eligible to vote. If a candidate fails to get less than one sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited. The Candidates are requested to submit self attested copy of Bank membership ID Card/ Aadhar Card/Driving License/Passport/Election I-card/PAN card or any other recognized government issued ID card of candidate, proposer and seconder along with each Nomination Form. All the members of the society are hereby cautioned that in case of any difference in the names of candidates on their nomination forms/names in ID cards/ names registered in the society's records due to marriage or other reasons, the same will be scrutinized by the Returning Officer to ascertain that the identity of the me

The list of members and defaulters of the aforesaid Bank has been displayed at the Office of the undersigned and at the Notice Board of Administrative Office of The Kangra Co-operative Bank Ltd. Members can obtain a copy of the list of members from the Office of the Bank at C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058, on payment of prescribed fee, as per provisions of Rule 33 of Delhi Co-operative Societies, Rules, 2007.

### **SPECIAL NOTE**

The SGBM for the purpose of holding election of Board of Directors of the aforesaid Bank shall **start at 9.15 A.M. on 23/03/2025 (Sunday)** in the premises of Nutan Marathi Senior Secondary School, Aram Bagh, Behind Paharganj Police Station, Paharganj, New Delhi-110055. If the quorum of the meeting is not completed up to 09:45 A.M., the meeting shall be adjourned for 15 (fifteen) minutes i.e. from 09:45 A.M. to 10:00 A.M. at the same place & in the adjourned meeting, no quorum shall be necessary in terms of the Rules 48 (3) of DCS Rules 2007. The voting shall take place from 10:00 A.M. to 05:00 P.M. on 23/03/2025 (Sunday).

#### **COUNTING OF VOTES**

The counting of votes will start immediately after the polling is over and the result will be declared immediately after completion of the counting of votes.

Date: 12/02/2025

(R.S.KRISHNAN) RETURNING OFFICER

## Copy forwarded to:-

- 1. All Members of the Bank as per list provided by the Chief Executive Officer of the Bank.
- 2. The CEO, The Kangra Co-operative Bank Ltd., C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058.
- 3. Notice Board of Head Office and All Branches of the Bank through CEO of the Bank.

4. The Assistant Registrar (Banking), O/o Registrar Co-operative Societies, GNCTD, Parliament Street, New Delhi-110001

(R.S. KRISHNAN) RETURNING OFFICER

Note:- As per provisions of the DCS Act, 2003 and DCS Rules, 2007 and Bye-Laws of the Bank, the defaulter members are neither eligible to contest the election, nor entitled to cast their votes. However, in case, if they make the payment of their dues on day before the date of filing of nominations/one day before the date of poll to the Bank & produce the proof thereof before the undersigned, they will not be treated as defaulter and shall be allowed to contest the election / cast their votes respectively. It is to inform that Bank has supplied list of defaulter members which is available with the Returning Officer and also displayed at the Notice Board of O/O the R.O., Administrative Office of the Bank. Members are advised to check the list of defaulters well in advance to avoid any inconvenience at the time of filing of nomination form and at the time of polling.

All the members are requested to bring the proof of their identification by way of original Bank membership ID Card or Aadhar Card/Driving License/Passport/Election I-card/PAN Card etc. issued by the Govt. or any other recognized government issued ID card for their identification to facilitate the smooth conduct of election. All the members of the society are hereby cautioned that in case of any difference in the names of members in society records and names in ID cards due to marriage or other reasons, the same will be scrutinized by the Returning Officer to ascertain that the identity of the member is established beyond reasonable doubt. Only one voter is allowed in one voting booth and members of the same family eligible for voting are will have to use separate booths for voting. In case of difference between Hindi & English versions, English version will prevail.